न्यायालय

उन्वान

मुकदमा नं. 46/2025 अमित बेड़िया V/s मो. बिलाल आदि

बनाम

23.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी सं. 1 उपस्थित। वकील प्रार्थी को आवाज लगवायी गई, लेकिन हाजिर नहीं आये हैं। उपस्थित वकील अप्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अभिकथन किया है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को मात्र विलम्बित करने के उद्देश्य से यह मुतफर्रिका आवेदन पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित वकील अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण लगभग 3 माह से बहस हेतु विचाराधीन चल रहा है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर उन्हें बहस के लिए समुचित अवसर भी दिये जा चुके हैं परन्तु वकील प्रार्थी प्रकरण में बहस नहीं कर रहे हैं। जिससे उनकी मंशा प्रकरण को विलम्बित किये जाने की प्रतीत होती है।

अतः यह प्रार्थना-पत्र मुतफर्रिका वकील प्रार्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा सुना जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर